न्यायालयः–उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर सलूम्बर, जिला–सलूम्बर

बजरिये श्री परमजीत आर.ए.एस

प्रकरण संख्या 67/2021

जी.सी.एम.एस. नम्बर 2021/4

उनवान

1. श्री शंकरनाथ पिता धन्ना जी जोगी उम्र बालिग
2. श्री नारायणनाथ पिता धन्ना जी जोगी उम्र बालिग
3. श्री धुलनाथ पिता धन्ना जी जोगी उम्र बालिग

सभी निवासी निवासी जैताणा हाल मुकाम भागल तहसील सलूम्बर।

–प्रार्थीगण

बनाम

1. श्रीमती कमला पति भमुनाथ जोगी उम्र बालिग
2. श्री लक्ष्मण पिता भमुनाथ जोगी उम्र बालिग
3. श्री प्रकाश दत्तक पिता हमीरनाथ जोगी उम्र बालिग
4. श्रीमती सुरज पति हमीरनाथ जोगी उम्र बालिग

सभी निवासी जैताणा हाल तहसील झल्लारा जिला सलूम्बर।

–विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम व धारा 39 नियम 1 व 2 जा.दी.

–::निर्णय::–

दिनांकः– 28/04/25

उपस्थितिः श्री राजकुमार जैन अधिवक्ता–प्रार्थीगण
श्री संजय मेहता अधिवक्ता– विपक्षी संख्या 1, 2
विपक्षी संख्या 3– स्वयं उपस्थित।

प्राथीगण ने प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम व धारा 39 नियम 1 व 2 सी पी सी का प्रस्तुत कर अंकित किया कि प्रार्थीगण एवं विपक्षीगण एक ही परिवार के व्यक्ति है। मुल पुरूष धुला थे जिनके तीन लडके वेला, गोतम व धन्ना थे जिनमे वेला के दो लडके भमुनाथ व नाथु नाथ थे जिसमे नाथुनाथ ला ओलाद फौत हो गये व भमुनाथ के पत्नी श्रीमती कलमा व पुत्र लक्ष्मण है तथा धन्ना के तीन लडके शंकर, नारायण व धुला है व गोतम के दो पुत्री धुली व सुरज है जिसमे धुली की मृत्यु हो गई व सुरज के द्वारा भाणेज प्रकाश को गोद रखा है जिनके अलावा कोई सन्तान नही है।

प्रार्थीगण एवं विपक्षीगण की कृषि भूमि मौजा जौताणा पटवार हल्का जैताणा हाल तहसील झल्लारा मे स्थित है जिसके संवत् 2020–2023 मे खाता संख्या 37 किता 7 रकबा 8 बिघा 11 बिस्वा है। उक्त समय वेला पिता धुला के द्वारा आराजी नम्बर 2490/5 व 2522/5 खसरा नम्बर को वेला, तेजली, काना पिता गांगा जोगी को बिकाव किया गया जिसका नामान्तकरण संख्या 440 पर खोला गया। मौजा जैताना के खाता संख्या 465/164 किता 9 रकबा 1.75 हैक्टेयर भूमि जो धुला के खाते की है जिसमे वेला, गोतम व धन्ना तीनो का बराबर–बराबर हिस्सा है जिसमे वेला का 1/3, गोतम का 1/3 व धन्ना का 1/3 हिस्सा है जिनके वारीसान वादीगण का 1/3 हिस्सा, प्रतिवादीगण कमला व लक्ष्मण का 1/3 हिस्सा, प्रकाश व सुरज का 1/3 हिस्सा है जिसके अलावा किसी को कोई हक हिस्सा नही है क्योकि प्रकाश गोद पुत्र सुरज के मकान पर रहा था।

प्रार्थना पत्र संख्या–67/2021

उनवान– श्री शंकरनाथ बनाम श्रीमती कमला

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर. टी. एक्ट.

उपरोक्त आराजीयात पर सभी पक्षकारान का बराबर का हिस्सा है जिसके अलावा किसी का मौके पर कोई किसी प्रकार का कब्जा नही है परन्तु प्रार्थीगण के द्वारा अहमदाबाद मजदुरी करते तो विपक्षीगण के द्वारा उक्त मौके का फायदा उठाकर के मौके पर कब्जा करना चाहते है जिस कारण मौके पर हमेशा शान्ति भंग की आशंका रहती है क्योकि ये लोग मारपीट करने पर भी उतारू रहते है जिस कारण प्रार्थीगण के द्वारा विपक्षीगण के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र पेश किया है। अतः श्रीमान् से निवेदन है कि प्रार्थीगण के पक्ष मे व विपक्षीगण के विरूद्ध निम्न आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा पारित की जावे कि वह या उसके प्रतिनिधि मुलवाद के निस्तारण तक उक्त वाद वर्णित आराजीयात जो कि प्रार्थीगण के कब्जे काश्त मे है किसी प्रकार से कोई कब्जा नही करे व न ही किसी भी रूप मे हस्तान्तरण करे तथा न ही प्रार्थीगण के काश्त मे दखलन्दाजी करे तथा न ही किसी प्रकार से प्रार्थना पत्र मे वर्णित आराजीयात मे किसी प्रकार से कोई निर्माण कार्य करे।

प्रार्थना पत्र जांच दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्सीगण को तलवी हेतु नोटिस जारी किया गया। विपक्षी संख्या 1 व 2 की ओर से अधिवक्ता श्री संजय मेहता हाजिर आये। विपक्षी संख्या 1 व 2 को जवाब हेतु कई अवसर दिये जाने के उपरान्त भी जवाब पेश नही करने पर जवाब का अवसर बन्द किया गया। विपक्षी संख्या 3 व 4 ने जवाब पेश कर अंकित किया कि प्रार्थना पत्र मे वर्णित पारिवारीक सजरा सही है विपक्षी संख्या 3 व 4 पारिवारीक सजरा के अनुसार धुला के पुत्र गौतम के एकमात्र पुत्री 4 है जो उक्त पैतृक सम्पत्ति में एकमात्र हकदार है जिसको उपनी परिवारीक सम्पत्ति में कृषि भू खण्ड में किसी प्रकार की कोई सम्पत्ति नही दी गई है जो कि उक्त बंटवारे 1/3 की हकदार है जो दिलाई जावें। प्रतिवादी/विपक्षी संख्या 4 के पास में गौतम का एकमात्र घर ही है जिसमें प्रतिवादी/विपक्षी संख्या 4 व 3 निवास कर रहे है, प्रतिवादी/विपक्षी संख्या 4 व 3 के पास कृषि भूमि का कोई भी भाग प्रतिवादी संख्या 3 व 4 को नही मिला है उक्त भाग प्रतिवादी संख्या 3 व 4 को दिलाया जावें।

पत्रावली मे उभयपक्ष की बहस सुनी गई। अधिवक्ता प्रार्थीगण ने बहस मे प्रार्थना पत्र मे अंकित तथ्यो को दोहराते हुए विपक्षीगण को मूलवाद के निस्तारण तक अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किये जाने का निवेदन किया। विपक्षीगण ने बहस मे कथन किया कि विपक्षीगण ने विवादग्रस्त आराजीयात पर कोई अतिक्रमण नही किया है न ही कोई दखलन्दाजी कर रहे है केवल मात्र हम विपक्षीगण को परेशान करने की नियत से प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। अतः प्रार्थना है कि प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र सव्यय निरस्त फरमाया जावे।

बहस मनन की गई। पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेज/रिकॉर्ड का अवलोकन किया। पत्रावली मे यह न्यायालय ऐसा कोई कारण नही समझता है कि प्रार्थना पत्र पेश करने के बाद इतने लम्बे समय तक प्रार्थना पत्र चलने के बावजूद कभी प्रार्थीगण ने न्यायालय में यह कथन किया हो की विपक्षीगण द्वारा कोई दखलन्दाजी की हो। अतः प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम व धारा 39 नियम 1 व 2 जा.दी. का मजबूत आधार पर आधारित नही होने से खारिज किया जाता है।

पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय खुले दिनांक 28/04/2025 को न्यायालय मे सुनाया गया।

(परमजीत आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी, सलूम्बर
सहायक कलक्टर सलूम्बर
जिला–सलूम्बर
जिला सलूम्बर